न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 20/2023

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर

................प्रार्थी

बनाम

श्री काना बागरिया पुत्र श्री धूला बागरिया जाति बागरिया निवासी पारा पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर

............अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री काना अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक–15.05.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन बोलेरो पीकअप सीबीसी एमएस 13 टी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे 25 जी.ए 4844 को पुलिस थाना केकडी सदर द्वारा अन्तर्गत धारा 5,8,9,11 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थयी प्रर्वजन पर निर्यात अधिनियम) में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पर्ण अनुसधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन पुलिस थाना केकडी सदर को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना केकड़ी सदर में खुले में पड़ा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन बोलेरो पीकअप सीबीसी एमएस 13 टी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे 25 जी.ए 4844सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस केकडी, सदर जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। सुनवाई चाहने उपस्थित को सुना गया।

अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन बोलेरो पीकअप सीबीसी एमएस 13 टी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे 25 जी.ए 4844 को पुलिस थाना केकडी सदर द्वारा अन्तर्गत धारा 5,8,9,11 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थयी प्रर्वजन पर निर्यात अधिनियम) में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पर्ण अनुसधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन पुलिस थाना केकडी सदर को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना केकडी सदर में खुले में पडा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,

बोलेरो पीकअप सीबीसी एमएस 13 टी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे 25 जी.ए 4844 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

थानाधिकारी पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 10.05.2023 में अवगत कराया कि दिनांक 24.12.2022 को गूलगांव बस स्टेण्ड पर पहुँचे जहॉ पर ईतला मिली की पारा गांव की तरफ में एक पीकअप में बच्छडे भरे हुए जो पीकअप पारा से देवली की तरफ जायेगी मय सरकारी वाहन के गूलगांव बजरी नाका पर पहुचे थोडी देर बाद एक सफेद रंग की पीकअप नम्बर आर.जे. 25 जी ए 4844 आती हुयी नजर आये उक्त पीकअप को पुलिस जाब्ता की मदद से रूकवाया गया जिसमें चालक के अलावा एक आदमी और बैठा हुआ नजर आया उक्त दोनो आदमियो को नीचे उतार कर उनका नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम राजू पुत्र नन्दा बागरिया निवासी गुलाबबाडी पारा व दूसरे ने अपना नाम महेन्द्र पुत्र काना बागरिया निवासी गुलाबबाडी पारा होना बताया उक्त दोनो को पीकअप गाडी में क्या भरा होना पूछा तो कोई संतोषपूर्वक जवाब नही दिया जिस पर उक्त गाडी को चैक किया तो पीकअप के बीच लकडी के फन्टे लगा रखे व फन्टे के उपर प्लास्टिक के सब्जी के केरेट व फन्टे के निचे 7 बच्छडे अलग अलग रंग के जिनके पैर व गले में रस्सीयो से बन्धे हुये पिकअप में गौवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे तथा इनके पांव बांध रखे थे। उक्त पिकअप में बछडो के हवा पानी व चारा की कोई व्यवस्था नहीं थी पिकअप चालक निर्दयता पूर्वक गौवंश को पिकअप में भर कर अवैध रूप से काटने के लिए ले जा रहा था जिसका यह कृत्य धारा 5,8,9 राज. गौवंश पशु अधिनियम एवं 11 पशुक्रूरता अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से उक्त राजू पुत्र नन्दा व महेन्द्र पुत्र काना बागरिया निवासी गुलाबाडी पारा थाना केकडी सदर को मौके पर जुर्म से आगाह कर मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा घायल बच्छडो को जयपुर रोड केकड़ी पोकी नाडी गोशाला में सुरक्षार्त हेतु सुपुर्द किया गया तथा पीकअप नम्बर आर.जे. 25 जी ए 4844 को जरिये फर्द वजह सबूत जब्त की गई। साथ ही थानाधिकारी ने अवगत कराया की प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन पीकअप नम्बर आर.जे. 25 जी ए 4844 के सबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है।

हमने प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया,रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर को प्राप्त सूचना पर दौराने गूलगांव बजरी नाका पर पहुचे थोडी देर बाद एक सफेद रंग की पीकअप नम्बर आर.जे. 25 जी ए 4844 आती हुयी नजर आये उक्त पीकअप को पुलिस जाब्ता की मदद से रूकवाया गया जिसमें चालक के अलावा एक आदमी और बैठा हुआ नजर आया उक्त दोनो आदिमियो को नीचे उतार कर उनका नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम राजू पुत्र नन्दा बागरिया निवासी गुलाबबाडी पारा व दूसरे ने अपना नाम महेन्द्र पुत्र काना बागरिया निवासी गुलाबबाडी पारा होना बताया उक्त दोनो को पीकअप गाडी में क्या भरा होना पूछा तो कोई संतोष पूर्वक जवाब नही दिया जिस पर उक्त गाडी को चैक किया तो पीकअप के बीच लकडी के फन्टे लगा रखे व फन्टे के उपर प्लास्टिक के सब्जी के केरेट व फन्टे के नीचे 7 बच्छडे अलग–अलग रंग के जिनके पैर व गले में रस्सीयो से बन्धे हुये पिकअप में गौवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे तथा इनके पांव बांध रखे थे। उक्त पिकअप में

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

बछडो के हवा पानी व चारा की कोई व्यवस्था नही थी पिकअप चालक निर्दयता पूर्वक गौवंश को पिकअप में भर कर अवैध रूप से काटने के लिए ले जा रहा था जिसका यह कृत्य धारा 5,8,9 राज. गौवंश पशु अधिनियम एवं 11 पशुकूरता अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से उक्त राजू पुत्र नन्दा व महेन्द्र पुत्र काना बागरिया निवासी गुलाबाडी पारा थाना केकडी सदर को मौके पर जुर्म से आगाह कर मौके पर गिरफ्तार किया गयाप्रकरण में हाजा में जब्त शुदा वाहन पीकअप नम्बर आर.जे. 25 जी ए 4844 के सबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं होना बताया गया ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जब्तशुदा गौवशं को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दुगी पर छोडा गया है।पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा नं0 259/2022 धारा5,8,9 राजस्थान गौवश पशु वध प्रतिषेध व आयात निर्यात प्रयोजन 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 तथा धारा 11 डी पशु कुरता अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6—क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौ वंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है।प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्त शुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकिउक्त वाहन बोलेरो पीकअप आर.जे. 25 जी. ए 4844का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर—कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्त बोलेरो पीकअप आर.जे. 25 जी. ए 4844को रूपये 25,000/—अक्षरे पच्चीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना केकडी सदर जिला—अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर वाहन बोलेरो पीकअप आर.जे. 25 जी. ए 4844 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.05.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।